

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज  
(UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION, PRAYAGRAJ)

संख्या: 36/02/E-3/2018-19

प्रयागराज :: दिनांक :: 07/07/2020

**साक्षात्कार ज्ञाप**

परीक्षा का नाम COMBINED STATE /UPPER SUBORDINATE SERVICES  
(GEN./PH.-BACKLOG/SPL. RECRUITMENT) EXAM-2018  
रजिस्ट्रेशन न० 10603321222  
अनुक्रमांक 405227  
अभ्यर्थी का नाम SUBHASH  
पिता का नाम PANCHAM SINGH

सूचित किया जाता है की आपका साक्षात्कार दिनांक **21/08/2020** को **12:00 PM** बजे कार्यालय लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, 10 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, प्रयागराज में करने का निश्चय किया गया है। कृपया साक्षात्कार की तिथि ध्यान पूर्वक नोट कर लें। तिथि परिवर्तन के संबंधमें कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। साक्षात्कार के पूर्व निम्नलिखित औपचारिकतायें पूरी करना अनिवार्य है:-

- 1- आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना पत्रक, व अंकतालिका विवरण वेबसाइट पर भरने के उपरान्त डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें तथा सभी प्रमाण-पत्र एवं प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित हो। **उक्त अभिलेखों के अभाव में आपका साक्षात्कार करना संभव नहीं होगा और आपका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।**
- 2- साक्षात्कार के समय समस्त प्रमाण-पत्रों, उपाधियों, अंकतालिकाओं / अनुभव प्रमाण-पत्र की मूल (Original) प्रतियां अपने साथ अवश्य लायें। यदि पद के लिए निर्धारित अर्हता से सम्बन्धित मूल (Original) डिग्री तथा प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हुआ हो तो संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अस्थाई (Provisional) प्रमाण-पत्र अपने साथ अवश्य लायें अन्यथा आपका साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
- 3- अपना दो नवीनतम आवक्ष (Pass-Port Size) फोटोग्राफ जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रधानाचार्य, जहाँ अंतिम शिक्षा पाई हो अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, तथा तीन अप्रमाणित आवक्ष त क की (Pass-Port Size) नवीनतम फोटोग्राफ अवश्य लायें।
- 4- यदि आपने किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी होने का दावा किया है, तो शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर (जो वेबसाइट पर उपलब्ध है) वांछित प्रमाण-पत्र मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें एवं उसकी एक अभिप्रमाणित अथवा फोटो स्टेट कापी भी प्रस्तुत करें।  
(क) समाज के विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप (वेबसाइट पर उपलब्ध) पर अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता का प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें जिसमें उनकी विकलांगता का प्रतिशत एवं उपश्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो।
- 5- एन.सी.सी.(बी.) सर्टीफिकेट/टैरिटरियल आर्मी में सर्विस/खेल-कूद पाठ्येत्तर क्रिया-कलाप (Extracurricular activities) आदि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करें।
- 6- उ० प्र० की महिला अभ्यर्थी पिता पक्ष से उ० प्र० का सामान्य निवास प्रमाण पत्र साथ में अवश्य लायें।
- 7- केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय सरकारी सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थी सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूलरूप में अपने साथ अवश्य लायें।
- 8- **साक्षात्कार के समय सभी वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।**
- 9- साक्षात्कार परिषद के समक्ष आपको अपनी जाति व श्रेणी का उल्लेख नहीं करना है।

नोट:-: उ० प्र० लोक सेवा आयोग परिसर में मोबाइल फोन लाना वर्जित है।

  
12/08/2020

अनुभाग अधिकारी  
कृते सचिव